न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,सीकर

जगदीश आदि बनाम विनोद आदि

दावा मु.नं. 29 / 2018

दिनांक	आज्ञा पत्र
23-01-2020	

पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक वादी उपस्थित। प्रतिवादीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। तहसीलदार सीकर से बंटवारा प्रस्ताव रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली हो गई है ।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने तहसीलदार सीकर से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री करने का अनरोध किया । विद्वान अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार सीकर से विभाजन प्रस्ताव न्यायालय की प्राथमिक डिक्री दिनांक 28.5.18 के अनुसार ही प्रकट होते है प्रकरण विभाजन का ही है जिसके संबध मे तहसीलदार सीकर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो गये है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई है । अतः तहसीलदार सीकर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है । आराजी खसरा नं. 1089 रकबा 0.60 है. व खसरा नं. 1089/3728 रकबा 0.02 है. ग्राम पिपराली तहसील सीकर का अंतिम विभाजन किया जाकर निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा (है.)
1	कुरडाराम शिवचन्द पि. किशनाराम हि.1/3 मोहरीदेवी पत्नी किशनाराम जाति गुर्जर हि.1/3 मन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम 1/6 जगदीश पुत्र दीपाराम हि. 1/6 जाति जाट	1089/3728	0.02
2	विनोद कुमार पुत्र रड़मल जाति महाजन हि. 3/4 मोहरीदेवी पत्नी किशनाराम गुर्जर हि. 1/4	1089/1	0.40
3	मन्नीदेवी पत्नी धन्नाराम 1/2 जगदीश पुत्र दीपाराम हि. 1/2 जाति जाट	1089/2	0.20

उक्तानुसार पृथक पृथक खातेदारी रिकार्ड मे दर्ज की जावे। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा । इस निर्णय को ही डिक्री पढा जावे । पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तरमीम तकमील नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो । निर्णय सुनाया गया ।